

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: भागीरथ बिश्नार्ई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध:: 04/2017::

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये तहसीलदार, रायपुर जिला पाली		मादा पुत्र गंभीर (मूल आवंटी) के वारिस 1. नारायण पुत्र मादा 2. गोविन्द पुत्र चुतरा 3. सुगनी पत्नी चुतरा 4. लाला पुत्र भारू 5. हजारी पुत्र भारू 6. कालू पुत्र भारू 7. उडनी पत्नी रायमल 8. जगदीश पुत्र रायमल 9. गौरी पत्नी भारू 10. लाली पुत्री भारू 11. बालू पुत्र बलदेव 12. पप्पू पुत्र बलदेव 13. सतू पुत्र बलदेव 14. राजू पुत्र बलदेव 15. सीता पत्नी बलदेव, जातिगण गुर्जर, निवासीगण रावणिया, तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :- प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार पाली
अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से एडवोकेट श्री चन्द्र प्रकाश वैष्णव

--: निर्णय :-

दिनांक :- 23/10/2018

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 से 15 के पूर्वज मादाराम पुत्र गंभीर के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी, जैतारण द्वारा आदेश क्रमांक 176-178 दिनांक 26.06.1970 के जरिये तहसील रायपुर के ग्राम रावणिया पटवार हल्का सुमेल के खसरा नम्बर 282/1 रकबा 09.00 बीघा भूमि के आवंटन को अपास्त किये जाने हेतु पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक तथा 5 से 15 तक बावजुद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 5 से 15 के विरुद्ध गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। सरकारी पैरोकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 4 की बहस सुनी गई।

राज. वि. कलेक्टर, पाली



सरकारी पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी मादा पुत्र गंभीर गुर्जर के पक्ष में भू-आवंटन नियमन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी, जैतारण) द्वारा तहसील रायपुर के ग्राम रावणिया के खसरा नम्बर 282/1 रकबा 09.00 बीघा का आवंटन आदेश क्रमांक 176-178 दिनांक 26.06.1970 के द्वारा किया गया। जिसकी पालना में नायब तहसीलदार रायपुर द्वारा मादा पुत्र गंभीर गुर्जर के हक में नामान्तरकरण संख्या 343 दर्ज किया गया तथा इसके देहान्त के पश्चात उसके वारिशान को देह गैर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटी द्वारा वक्त आवंटन से केवल एक वर्ष ही काश्त की है, बाकी वर्षों में कोई काश्त नहीं की है। पटवारी हल्का सुमेल की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.04.2017 के यह अंकन है कि जैर प्रार्थना पत्र आराजी पर न तो मादा पुत्र गंभीर के वारिसों का कब्जा है तथा न ही काश्त है। अप्रार्थी मादा पुत्र गंभीर एवं उसके वारिसों द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किए जाने से आवंटन निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता ने अपने जवाब एवं वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी मादा पुत्र गंभीर गुर्जर के पक्ष में भू-आवंटन नियमन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी, जैतारण) द्वारा तहसील रायपुर के ग्राम रावणिया के खसरा नम्बर 282/1 रकबा 09.00 बीघा का आवंटन आदेश क्रमांक 176-178 दिनांक 26.06.1970 के द्वारा किया गया। जिसकी पालना में नायब तहसीलदार रायपुर द्वारा मादा पुत्र गंभीर गुर्जर के हक में नामान्तरकरण संख्या 343 दर्ज किया गया तथा इसके देहान्त के पश्चात उसके वारिशान का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। जैर प्रार्थना पत्र आराजी पर वक्त आवंटन से अप्रार्थी का कब्जा व काश्त था तथा उसकी मृत्युपरान्त उसके वारिशों का आदिनांक तक कब्जा व काश्त है। पटवारी हल्का द्वारा जो गिरदावरी दर्ज की है, उसकी जानकारी अप्रार्थी तथा अप्रार्थी के वारिशान को नहीं है तथा पटवारी हल्का ने जो मौका रिपोर्ट तैयार की है, वह भी जानबुझ कर गलत रिपोर्ट तैयार की है। जबकि वास्तव में मौके पर अप्रार्थी के वारिशान का कब्जा काश्त है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी मादा पुत्र गंभीर के हक में किया गया आवंटन को बहाल रखते हुए जैर प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 192, आर0आर0डी0 1999 पेज 456, आर0आर0डी0 2001 पेज 126, आर0आर0डी0 2001 पेज 133 तथा आर0आर0डी0 2001 पेज 467 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अप्रार्थी मादा पुत्र गंभीर गुर्जर के पक्ष में भू-आवंटन नियमन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी, जैतारण) द्वारा तहसील रायपुर के ग्राम रावणिया के खसरा नम्बर 282/1 रकबा 09.00 बीघा का आवंटन आदेश क्रमांक 176-178 दिनांक 26.06.1970 के द्वारा किया गया। जिसकी पालना में नायब तहसीलदार रायपुर द्वारा मादा पुत्र गंभीर गुर्जर के हक में नामान्तरकरण संख्या 343 दर्ज किया गया तथा इसके देहान्त के पश्चात उसके वारिशान का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। पटवारी हल्का सुमेल की मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली संलग्न गिरदावरी रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि जैर प्रार्थना पत्र आराजी पर वक्त आवंटन से न तो आवंटी का कब्जा काश्त था एवं मूल आवंटी फौत होने के पश्चात उनके वारिशान का भी कब्जा काश्त नहीं रहा। राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (3) में उल्लेख है कि " The allottee shall have to cultivate at least 50% of the land in the first year of allotment and the remaining area in the second yeat." इस सम्बन्ध में विद्वान



अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 192 सुसंगत है, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि "Condition to cultivate 50% of the land first years has been omitted in the year 1999" इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1999 में राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (3) को यथा-संशोधित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उक्त न्यायिक सिद्धान्त में जिन तथ्यों को रेखांकित किया गया है, उन तथ्यों से हस्तगत प्रकरण में वर्णित तथ्य भिन्न होने के कारण यह न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण में पूर्णतः चस्पा नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0डी0 1999 पेज 456, आर0आर0डी0 2001 पेज 126, आर0आर0डी0 2001 पेज 133 तथा आर0आर0डी0 2001 पेज 467 सम्माननीय अवश्यक है तथा वे समस्त सिद्धान्त खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात आवंटन को निरस्त करने से सम्बन्धित है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में आवंटी एवं आवंटी फौत होने के पश्चात आवंटी के वारिशान का कब्जा काश्त ही मौके पर नहीं है एवं कब्जा काश्त नहीं होने के कारण खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। इन कारणों से उक्त न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होंगे हैं। प्रकरण में यह प्रमाणित तथ्य है कि जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है, जो आवंटन की आज्ञापक शर्तों के उल्लंघन की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण आवंटन को बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी मादा पुत्र गंभीर गुर्जर को तहसील रायपुर के ग्राम रावणिया के खसरा नम्बर 282/1 रकबा 09.00 बीघा का आवंटन भू-आवंटन नियमन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी, जैतारण) द्वारा आदेश क्रमांक 176-178 दिनांक 26.06.1970 के द्वारा किया गया था। उसको निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, रायपुर को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि वे उक्त भूमि राज्यहित में लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब भिजवावें।



आदेश आज दिनांक 23/10/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नाई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

(भागीरथ बिश्नाई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली